रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112023-249879
CG-DL-E-04112023-249879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4600] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2023/कार्तिक 12, 1945
No. 4600] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2023/KARTIKA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2023

का.आ. 4798(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले आन्ध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

(1)	आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन, विज्ञान और तकनीकी विभाग के उत्तरदायी विशेष मुख्य सचिव (या) प्रधान सचिव।	अध्यक्ष, पदेन ;
(2)	सरकार के प्रधान सचिव या विशेष आयुक्त (आपदा प्रबंधन), राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
(3)	सरकार के प्रधान सचिव या मत्स्य पालन आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
(4)	सरकार के प्रधान सचिव या उद्योग आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
(5)	प्रमुख या निदेशक, आंध्र प्रदेश स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
(6)	निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
(7)	जिला प्रजा परिषद् अध्यक्ष, चित्तूर	सदस्य, पदेन ;

(8)	प्रो. एन. जनार्दन राजू, प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067	विशेषज्ञ सदस्य ;
(9)	प्रो. टी. दामोधरम, प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति	विशेषज्ञ सदस्य;
(10)	डॉ. उमा माहेश्वरी देवी पालेमपल्ली, प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव और जैव रसायन विभाग, श्री पदमावती महिला विश्व विद्यालयम् (महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति)	विशेषज्ञ सदस्य;
(11)	डॉ.एम. राजसेखर, प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, एस.वी.विश्वविद्यालय, तिरूपति	विशेषज्ञ सदस्य;
(12)	प्रो. सेशगिरी राव अंबाती, एसोसिऐट प्रोफेसर, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम	विशेषज्ञ सदस्य;
(13)	श्री कल्लूरी हनुमंता राव, वैज्ञानिक 'जी' और समूह निदेशक, समुद्र विज्ञान समूह, भारतीय रिमोट सेंसिंग सेंटर या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (सेवानिवृत्त)	विशेषज्ञ सदस्य;
(14)	पर्यावरणीय संरक्षण सोसाइटी, पोस्ट बाक्स नं0 9, राजेश्वरी नगर, काकीनाडा-533003, ई.जी. जिला, आंध्र प्रदेश	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन ;
(15)	सदस्य-सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य-सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी।

4. पदेन-सदस्य से भिन्न सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधन और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हितों के टकराव से बचने के लिए, सदस्य किसी ऐसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवा प्रदान की हो, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को अलग रखेगा ।

6. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य में तटीय पर्यावरण को सरंक्षित और गुणवत्ता में सुधार करने तथा तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) यथास्थिति, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 या अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जारी तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 की अपेक्षाओं के भीतर अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना और आवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी के परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत्त करने और मानीटरी करने के लिए उत्तरदायित्व ;

(iv) भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्या का0आ0 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ;

(v) भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं0 का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा प्राधिकृत शक्तियां प्रयोग करना ;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करना ;

(vii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्र या तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और उस पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के लिए विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(viii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधिकथित अतिक्रमण के मामलें की जांच करना और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में अंतर्वलित अतिक्रमण या उल्लंघन के मामले में पुनर्विलोकन करना ; और

(ix) किसी व्यक्ति या निकाय या किसी संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर या स्वमेव उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन की जांच और पुनर्विलोकन के मामले;

7. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन से एक समर्पित वेबसाइट बनाएगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी पोस्ट करेगा, जिसके अंतर्गत इसकी बैठक की कार्यसूची, बैठक के कार्यवृत्त, बैठक में लिए गए विनिश्चय, उल्लंघन पर मामलों की सिफारिश और उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन के मामले में सिफारिशें और न्यायालय मामलों पर ऐसे अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश आंध्र प्रदेश सरकार के तटीय जोन प्रबंधन योजना का अनुमोदन सम्मिलित है, पर की गई कार्रवाई;

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. जे-17011/27/1999—आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 3rd November, 2023

S.O. 4798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(1)	Special Chief Secretary (or) Principal Secretary to the Government responsible for Environment, Forest,Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh	Chairman, *exOfficio;*
(2)	Principal Secretary or Special Commissioner (Disaster Management), Revenue (Disaster Management) Department, Government of Andhra Pradesh	Member, *exOfficio;*
(3)	Principal Secretary to the Government or Commissioner of Fisheries, Fisheries Department, Government of Andhra Pradesh	Member, *exOfficio;*
(4)	Principal Secretary to the Government or Commissioner of Industries, Industries and Commerce Department, Government of Andhra Pradesh.	Member, *exOfficio;*
(5)	Head or Director, Andhra Pradesh Space Applications Center,	Member, *exOfficio;*

	Government of Andhra Pradesh	
(6)	Director, Directorate of Town and Country Planning, Government of Andhra Pradesh	Member, *exOfficio*;
(7)	Chairman of the Zilla Praja Parishad, Chittoor	Member, *exOfficio*;
(8)	Prof. N. Janardhana Raju, Professor, School of Environmental Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067	Expert Member;
(9)	Prof. T. Damodharam, Professor, Department of Environmental Science, S.V. University, Tirupati	Expert Member;
(10)	Dr. Uma Maheswari Devi Palempalli, Professor, Department of Applied Microbiology and Biochemistry Sri Padmavati Mahila Viswa Vidyalayam (Women's University Tirupati)	Expert Member;
(11)	Dr. M. Rajasekhar, Professor, Department of Zoology, S. V. University, Tirupati	Expert Member;
(12)	Prof. Seshagiri Rao Ambati, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Petroleum of Energy, Visakhapatnam	Expert Member;
(13)	Shri Kalluri Hanumantha Rao, Scientist 'G' and Group Director, Oceanography Group, National Remote Sensing Centre or Indian Space Research Organisation (Retired)	Expert Member;
(14)	Environmental Protection Society, Post Box No. 9, Rajeswari Nagar, Kakinada-533003, E.G. District, A.P.	Member, Non - government Organisation;
(15)	Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board	Member Secretary, *exOfficio*.

2. The Headquarter of the Authority shall be at Guntur, Andhra Pradesh.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members of the Authority.

4. The Member, other than member *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Andhra Pradesh, namely:-

(i) examination of proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number S.O.19(E), dated the 6 th January, 2011 or the notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4650(E), dated the 30 September, 2022;

(v) exercise powers as authorised vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 83(E), dated the 16th February, 1987;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examination of proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of the Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(viii) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violation or contravention of the provisions of the said Act and the rules made thereunder; and

(ix) inquire and review cases of violation or contravention of the said notification suo-moto or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation and contravention of the said notification and action taken on such violation and court matter including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Andhra Pradesh.

8. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/27/1999-IA.III]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.